राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः प.1(सामान्य)निचिस्वा/विधि/2024/164 दिनांकः 28/03/2024

समस्त संयुक्त निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन, राजस्थान

विषयः– ऐसे प्रकरण जिनमें राज्य/विभाग के विरूद्ध आदेश/निर्णय पारित क्रिया गया है, एवं निर्णय/आदेश की पालना नहीं हुई है, कि सूचना के संबंध में।

संदर्भः– पूर्व पत्र कमांक 86 दिनांक 14.03.2024

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा अति. मुख्य सचिव महोदया द्वारा दिये गये निर्देशों के कम में न्यायिक प्रकरणों की समीक्षा हेतु ऐसे प्रकरण जिनमें राज्य/विभाग के विरूद्ध आदेश (अन्तरिम आदेश सहित)/निर्णय पारित किया गया है अथवा अभ्यावेदन के निस्तारण के निर्देश दिये गये हैं एवं निर्णय/आदेश की पालना नहीं हुई है कि सूचना निम्न प्रपत्र में 5 दिवस में वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग शासन सचिवालय, जयपुर एवं विधि अनुभाग मुख्यालय को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये थे। जिसकी पालना अभी तक भी सुनिश्चित नहीं हो सकी है।

कम संख्या	प्रकरण की संख्या एवं उनवान एवं न्यायालय का नाम	पारित निर्णय/आदेश की दिनांक	निर्णय/आदेश का सार	निर्णय/आदेश के विरूद्ध अपील/नोअपील का निर्णय	यदि नोअपील का निर्णय लिया गया है तो पालना नहीं होने के कारण	निर्णय/आदेश के विरूद्ध अपील की गई हो तो उसका विवरण	निर्णय/आदेश की पालना नहीं होने के कारण यदि अवमानना प्रकरण दायर हुआ है तो उसका विवरण	अन्य विवरण

अतः आपके कार्यालय की विधि शाखा में पदस्थापित विधि अधिकारी/अधिकारी को उपरोक्त निर्देशो की पालना में आपके अधीन जिलो की सूचना संकलित कर विधि अनुभाग को अविलम्ब भिजवाना सुनिश्चित करें अन्यथा विलम्ब की स्थिति में संबंधित की जिम्मेदारी व्यक्तिशः निर्धारित की जावेगी।

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वा. विभाग राज. सरकार, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ग्रुप(2/3) विभाग, राज. सरकार, जयपुर।
3. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
4. सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित को ईमेल कर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
5. आदेश हेतु रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।